भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या - 1566

सोमवार, 9 फरवरी, 2026/20 माघ, 1947 (शक)

मिजोरम को वित्तीय सहायता

1566. श्री रिचर्ड वनलालहनंगइहा:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केंद्र सरकार ने मिजोरम राज्य, विशेषकर इसकी भौगोलिक सीमाओं, सीमित राजस्व आधार और बढ़ते विकास संबंधी व्यय को ध्यान में रखते हुए इसकी वर्तमान वित्तीय स्थिति का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्र सरकार का मिजोरम राज्य को कोई अतिरिक्त वित्तीय सहायता, विशेष अनुदान या राजकोषीय मानदंडों में छूट प्रदान करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे सहित इसके कार्यान्वयन की समय-सीमा क्या है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): राज्यों की वित्तीय स्थिति, जिसमें उनका राजस्व, व्यय की आवश्यकता और वित्तीय आवश्यकताएं शामिल हैं, का आकलन वित्त आयोग द्वारा प्रत्येक पांच वर्ष में किया जाता है। आयोग राज्यों को किए जाने वाले केंद्रीय करों एवं शुल्कों तथा अनुदानों के अंतरण की मात्रा और अंतरण में राज्यों की परस्पर हिस्सेदारी की भी सिफारिश करता है। वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर, 13वें वित्त आयोग की अवधि में राज्यों को कर अंतरण 32% से बढ़कर 14वें वित्त आयोग की अवधि में 42% हो गया है। 15वें वित्त आयोग ने भी जम्मू-कश्मीर के लिए 1 प्रतिशत के समायोजन के बाद अंतरण के उसी स्तर को बनाए रखा। इसके अलावा, राज्य के व्यय और राजस्व के बीच अंतर को समाप्त करने के लिए मिजोरम सहित कुछ राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान भी मुहैया कराया गया था।

(ग) और (घ) मिजोरम राज्य सहित सभी राज्यों ने अपना राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम अधिनियमित किया है जो राज्य सरकार को, राजस्व घाटे को उत्तरोत्तर समाप्त करके, राजकोषीय घाटे में कमी, राजकोषीय स्थिरता के अनुरूप विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन और सरकार के राजकोषीय प्रचालनों में अधिक पारदर्शिता के माध्यम से राजकोषीय प्रबंधन और राजकोषीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी बनाता है। राज्य एफआरबीएम अधिनियम के अनुपालन की निगरानी संबंधित राज्य विधानमंडलों द्वारा की जाती है। व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, सामान्यत: भारत के संविधान के अनुच्छेद 293(3) के तहत राज्यों द्वारा उधारी को अनुमोदित करने की शक्तियों का प्रयोग करते समय वित्त आयोग की स्वीकृत सिफारिशों के अनुसार राजकोषीय सीमाओं पर विचार करता है।

वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदानों और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत अनुदानों के अलावा, केंद्र सरकार भी पूंजीगत व्यय/निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (एसएएससीआई) योजनाओं के अंतर्गत राज्यों को निधियां प्रदान कर रही है। एसएएससीआई के तहत, मिजोरम को वर्ष 2020-21 से 2025-26 में 29.01.2026 तक 3,243.35 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। इसके अतिरिक्त, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ईएपी) के लिए मिजोरम को अनुदान के रूप में 90% और ऋण के रूप में केवल 10% अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) प्रदान की जाती है।

*****